तारीख हुक्म	हुक्म	अहकाम की तामील
16-8-24	वकील वादी उपस्थित साक्षिगण आदेश दिनांक..... की पालना में पत्रावली के वास्ते तलबी रखी जाकर दिनांक 30/8/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
30/8/2024	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी का वाद प्रवाद सुनाई गई कोई उपस्थित नहीं आगे अतः प्रार्थना पत्र 202 दाखिल राजस्व अपील अधिनियम 1955 अंतर्गत खारिज व अंतर्गत पत्रावली के खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कटे हुए मूल वाद के साथ सलग्न रहे सुनाया उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज.